पत्रसं0–स्था0–1–प्रोन्नति /जी0एस0टी0 क्षेत्राधिकार/2020–21/ 605 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

(स्थापना–राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक 07 जुलाई, 2020

::कार्यालय आदेश::

मुख्यालय के आदेश संख्या–278/जी0एस0टी0/2017–18/file No.118/राज्य कर दिनांक 01.072017 द्वारा फील्ड में तैनात अधिकारियों को उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 की विभिन्न धाराओं में proper officer नामित किया गया है। खण्ड कार्यालयों में तैनात डिप्टी कमिश्नर एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर को उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रयोजन हेतु एक समान धाराओं में proper officer नामित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यू0पी0 वैट अधिनियम 2008 के अन्तर्गत भी खण्ड कार्यालयों में तैनात असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं डिप्टी कमिश्नर को एक समान अधिकार प्रदान किये गये है। वर्तमान में पंजीयन एवं रिफंड के प्रार्थना पत्रों पर समयबद्ध निस्तारण कार्यवाही की जाती है।

अतः राजकीय कार्यों के सुचारू निष्पादन हेतु आदेश दिये जाते है कि खण्ड कार्यालयों में असिस्टेन्ट कमिश्नर के रूप में तैनात रहे नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर्स अपनी नवीन तैनाती होने तक यू0पी0 एस0जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 तथा यू0पी0 वैट अधिनियम 2008 के तहत राजकीय कार्यों का निष्पादन पूर्ववत करते रहेंगे।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि –

1–समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को उपरोक्त आदेशों के क्रम में अधीनस्थ अधिकारियों से समयबद्ध कार्यवाही कराये जाने एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु ।

2–सम्बन्धित नवप्रोन्नत डिप्टी कमिश्नर्स को अनुपालनार्थ।

3–ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

07-07-2020
(डी0के0 सचान)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना राजपत्रित)
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।